20 रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

116

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

A/10-1158-II/16

पुनरीक्षण प्र.क्र /2016 जिला पन्ना

07.4.16

7.4.16

7/4/16

गुलाब सिंह पुत्र मलखान सिंह निवासी-ग्राम बिरवाही तहसील देवेन्द्र नगर, जिला पन्ना म.प्र. ....आवेदक

विरूद्ध

पुन्तोराजा पुत्री श्री नन्हे सिंह पत्नी राजेन्द्र सिंह निवासी-ग्राम बिरवाही तहसील देवेन्द्र नगर, जिला पन्ना म.प्र.

..........अनावेदिका

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पन्ना जिला पन्ना द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/अ-6/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 17.03.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व.संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि, अनुविभागीय अधिकारी पन्ना द्वारा अनावेदिका की अपील को परिसीमा में माना गया है जबकि उपरोक्त अपील अत्यधिक समय बाद प्रस्तुत की गई

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1148–दो/16 जिला–पन्ना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
4.01.17	आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पन्ना के प्रकरण कमांक 15/अ–6/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 17.03.2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि मलखान सिंह द्वारा दिनांक 12.03.1994 को नामांतरण पंजी कमांक–5 में इंद्राज दिनांक 25.01.1994 ग्राम ऊटन वर्ष 1993–94 द्वारा करा लिया था। जिसकी जानकारी होने पर पुत्तो राजा पुत्री नन्हें सिंह पत्नी राजेन्द्र सिंह ने अनुविभागीय अधिकारी पन्ना के न्यायालय में इस नामांतरण के विरूद्व अपील प्रस्तुत की, जिसके साथ धारा–5 का आवेदन मय शपथ–पत्र के प्रस्तुत किया था, जिसे अनुविभागीय अधिकारी पन्ना द्वारा दिनांक 17.03.2016 को स्वीकार करते हुये प्रकरण अंतिम तर्क के लिये दिनांक 12.04.2016 पेशी नियत की गई। जिससे परिवेदित होकर आवेदक गुलाब सिंह पुत्र मलखान सिंह द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदिका की अपील को परिसीमा में माना गया है। जबकि उपरोक्त अपील अत्यधिक समय बाद प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील को अंदर अवधि में	

मानने में वैधानिक त्रुटि की है। उनके द्वारा तर्क में यह भी कहा गया है कि आवेदिका द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी को नामांतरण पंजी कमांक—5 वर्ष 1993—94 में पारित आदेश दिनांक 12.03.1994 के विरूद्व प्रस्तुत की गई थी जो कि स्पष्टतः अवधि वाह्य थी, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित नहीं माना जा सकता। उनके द्वारा आगे तर्क में कहा गया है कि नियत पेशी जो नियत की गई थी उसमें दिनांक 17.03.2016 को आदेश पारित कर दिया गया जो कि आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 17.03.2016 निरस्त किया जाकर आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे।

4— अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम ऊटन की आराजी कुल किता 31 कुल रकवा 12.49 हैक्टेयर ग्राम ऊटन तहसील देवेन्द्र नगर जिला पन्ना के भूमि स्वामी मझली दुलैया वेवा मलखान सिंह लाबल्द एवं नन्ही दुलैया वेवा नन्हे सिंह रहीं है। मलखान सिंह व नन्हें सिंह दोनों के पिता भवानी सिंह थे। मलखान सिंह लाबल्द फौत हो गये थे। मलखान सिंह की मृत्यु के बाद मझली दुलैया व नन्हें सिंह का संयुक्त परिवार था। मलखान सिंह की एकमात्र वारिस मझली दुलैया थी। नन्हें सिंह की एकमात्र संतान अनावेदिका पुत्तो राजा थी। मझली दुलैया की मृत्यु के बाद उनकी निकटतम वारिस नन्हीं दुलैया थी। नन्हीं दुलैया एवं मझली दुलैया की एकमात्र वारिस अनावेदिका पुत्तो राजा थी। मझली

दुलैया की मृत्यु के उपरांत आवेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी हल्का से मिलकर मलखान सिंह का वारिस बनकर फर्जी तौर पर चोरी छिपे नामांतरण पंजी में अधिकार विहीन कार्यवाही कर मझली दुलैया के स्थान पर अपना नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज करा लिया। इसके विरूद्व नन्हीं दुलैया द्वारा कलेक्टर पन्ना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, परन्तु आवेदक द्वारा नामांतरण संबंधी जानकारी नहीं दी गई, कलेक्टर पन्ना द्वारा प्रकरण को स्वीकार कर प्रत्यावर्तित किया गया था। नन्हीं दुलैया पुरानी प्रथा की क्षत्रिय परिवार की अनपढ़ ग्रामीण परिवेश की महिला थी उसे यही ज्ञान हुआ कि वह मुकदमा जीत गई है, जबकि विचारणीय न्यायालय द्वारा अपने वरिष्ठ न्यायालय के अपने प्रत्यावर्तित आदेश का पालन नहीं किया गया। अंत में अनावेदिका के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा—5 का आवेदन आदेश दिनांक 17.03.2016 को स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदक की निगरानी निरस्त की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 17.03.2016 स्वीकार किया जावे।

5— उभयपक्ष के अधिवक्तागंण के तर्क श्रवंण किये गये तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेख का बारीकी से अध्ययन किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जिनका उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि नामांतरण पंजी क्रमांक—5 का अवलोकन किया गया जिसमें

इश्तहार की प्रति संलग्न नहीं है एवं ना ही किसी गवाह के हस्ताक्षर है, एवं किसी सह खातेदार के हस्ताक्षर नहीं है एवं ना ही किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा है। ऐसी स्थिति में ऐसा माना जा रहा है कि बिना इश्तहार जारी किये एवं बिना आपत्ति बुलायें एवं बिना ड्योढ़ी पिटवायें मुनादी नहीं करायी गयी एवं चोरी छिपे नामांतरण पंजी पर नामांतरण कर दिया गया है, जो विधि प्रावधानों के अनुसार सही नहीं है। **भू—राजस्व संहिता,1959 (म.प्र.)—धारा 47 एवं परिसीमा अधिनियम, 1963 — धारा 5 — पर्याप्त कारण होने से न्यायालय बैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग कर विलम्ब क्षमा कर सकता है— उद्घोषंणा तथा समन विधि के अनुसरण में नहीं होने पर विलम्ब माफ किया जायेगा।**

7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी पन्ना द्वारा आवेदन—पत्र अंतर्गत धारा—5 परीसीभा अधिनियम,1963 का स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। परिणामस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी पन्ना का प्रकरण क्रमांक 15/अ—6/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2016 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः आवेदक की निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0 के0 सिंह)

सदस्य